न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /19/रिव्यू

1. सुरेश सिंह
2. कमल सिंह
3. विशाल सिंह पुत्रगण स्व. श्री अलबेल सिंह परिहार, निवासीगण–ग्राम बेरू, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी अमर सिंह, पुत्री स्व. श्री अलबेल सिंह, निवासी–ग्राम बेरू, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. श्रीमती शीलाबाई पत्नी श्री भारत सिंह, पुत्री स्व.अलबेल सिंह, निवासी–ग्राम विजकपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर
3. श्रीमती कैला पत्नी श्री किशन सिंह, पुत्री स्व. अलबेल सिंह, निवासी–नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
4. श्रीमती कमला पत्नी रामकिशोर पुत्री स्व. श्री अलबेल सिंह, निवासी–ग्राम सूखा पटा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

——प्रतिप्रार्थीगण

//पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08/05/2019 पारित द्वारा अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 3822/2015/ग्वा./भू.रा./पी.बी.आर./निगरानी/

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण सगे भाई बहन है। प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण के पिता अलबेल सिंह परिहार का एक कृषि खाता स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू-658/2019/ग्वालियर/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
12–6–2019	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.5.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अत: यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	